गिरधारी सिंह बनाम राज0 सरकार वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या 47/2022 दावा दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88,136

आर्डरशीट दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/7/22	वादी की ओर से वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत के द्वारा पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 1/8/22 को पेश हों । उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
1/8/22	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील होकर प्राप्त नहीं हुई। पुनः तामील हेतु तलबाना पेश हो। तरमीमी प्रतिवादीगण की तामील हेतु भी तलबाना पेश हो। पत्रावली दि० 17/8/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
17/8/22	वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण व तरमीमी प्रतिवादीगण की तामील हेतु वकील वादी तलबाना पेश करे। तामील की जाकर पत्रावली दिनांक 21/9/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
21.9.22	वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण की तामील हेतु तलबाना आवश्यक रूप से पेश हो तथा [illegible] ग्रा० पं० [illegible] का [illegible] भी पेश हो। पत्रावली दिनांक 12/10/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
12/10/22	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि० 2/11/22 को पेश हो। रीडर	

2/11/22 वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत साईवाड़ का प्रमाण पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण के पिता का नाम वास्तविक में जगदीश सिंह है तथा विरासत का नामान्तरण खोलते वक्त भूलवश नाम जुगलसिंह अंकित कर दिया गया जो दुरुस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का परिवार राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम जुगलसिंह दर्ज है तथा आधारकार्ड आदि में जगदीश सिंह है। सरपंच ग्राम पंचायत साईवाड़ ने भी अपने प्रमाण पत्र में जगदीश सिंह व जुगलसिंह उर्फ जगु एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। इस प्रकार पत्रावली में पेशशुदा प्रलेख व वकील प्रार्थी की बहस से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम जगदीश सिंह के बजाय जुगलसिंह बहक से बोलता नाम दर्ज कर दिया गया जो दुरुस्ती योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाकर ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का साईवाड़ की जमाबंदी सं. 2076 से 2079 के खाता सं. 3 में दर्ज नाम अर्जुनसिंह, गिरधारीसिंह, विद्यापालसिंह पि. जुगलसिंह व जानकीदेवी पत्नि जुगलसिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह, गिरधारीसिंह, विद्यापालसिंह पि. जगदीशसिंह उर्फ जुगलसिंह, जानकी देवी पत्नि जगदीशसिंह उर्फ जुगलसिंह बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान